न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 37 / प्रा0पत्र / 2018

1. देशराज आ0 श्री ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी दमदमा तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी राज0
2. महेन्द्र आ0 श्री ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी दमदमा तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी राज0
3. ओमप्रकाश आ0 श्री ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी दमदमा तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. मलकराज आ0 श्री नारायण जाति मीणा निवासी दमदमा
2. उम्मेदसिंह आ0 श्री नारायण जाति मीणा निवासी दमदमा
3. नौरतमल आ0 श्री नारायण जाति मीणा निवासी दमदमा
4. बाबूलाल आ0 श्री नारायण जाति मीणा निवासी दमदमा
5. राजेश आ0 श्री नारायण जाति मीणा निवासी दमदमा
6. कंवरी बाई पत्नी रामनारायण जाति मीणा निवासी दमदमा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत :– 111, 128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक :– 27 / 03 / 2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि खाता संख्या 43 खसरा संख्या 36 रकबा 7 बीघा 2 बीस्वा वाके ग्राम खजूर का नला पटवार क्षेत्र पंगारा में स्थित है जो प्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 36 के सहारे खसरा संख्या 225, 224, 223 स्थित है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के खातेदारी की भूमिया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की भूमियों का राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी है और मौके पर हिस्सेनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 आदतन अपराधी प्रवृति के व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर अतिचार करते है उनकी मेडो को नष्ट करते है प्रार्थीगण द्वारा मना करने

डाई झगडा करने पर आमादा होते हे। प्रार्थीगण द्वारा विवाद की स्थिति में बचने के उक्त भूमियों का सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब हिण्डोली के यहां पेश किया था जिस पर तहसीलदार साहब हिण्डोली द्वारा पटवार हल्का पंगारा को उक्त भूमियों का सीमाज्ञान करने हेतु आदेश कमांक 55/16 दिनांक 22.06.2016 को पटवार मण्डल पंगारा को दिया था जिसमें पटवार मण्डल पंगारा द्वारा आस पास के खातेदारों के समक्ष प्रार्थी की भूमियों का सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है। लेकिन उक्त भूमियों की सीमाओं पर निर्देश (पत्थरगढी) नही होने से मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर अतिक्रमण करते रहते है जिससे प्रार्थीगण को काश्त करने में परेशानी आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा पटवार हल्का पंगारा से व तहसीलदार हिण्डोली से उक्त भूमियों की पत्थरगढी करने का निवेदन किया है लेकिन उनके द्वारा न्यायालय का आदेश लाने पर ही पत्थरगढी करने को कहा जिस पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 03.04.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कहां जिस पर प्रार्थीगण अविलम्ब श्रीमान के आदेशानुसार उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमिया वाके ग्राम खजूर का नला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्टफीस तलबी तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 36 रकबा 7 बीघा 2 बीस्वा वाके ग्राम खजूर का नला पटवार क्षेत्र पंगारा में स्थित प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नही अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या 36 एवं खसरा संख्या 223, 224, 225 के सहारे स्थित होना स्वीकार है परन्तु खसरा संख्या 36 के पूर्व की तरफ की खसरा संख्या 41 व 37 तथा दक्षिण की तरफ की खसरा संख्या 226 स्थित है जिनकी खातेदारान को प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है तथा प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 224, 225 के सभी सह खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए बार बार झुठे मुकदमें अप्रार्थीगण के विरूद्व कर रखे है। खसरा संख्या 36 के पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण ने मिटटी का ढोल बना रखा है जो करीब 4 फिट उचां है जो लगभग 100 वर्षो से बना हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के यहां रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क बउनवान देसराज बनाम नारायण पेश किया था जो न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 22.06.2018 को खारिज कर दिया गया तथा प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा संख्या 36 के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय श्रीमान के यहां बउनवान देसराज बनाम मलकराम पेश किया था जिसका भी निर्णय हो चुका है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है अप्रार्थीगण को सीमाज्ञान की कोई जानकारी नही है और न

माज्ञान के समय अप्रार्थीगण को कोई सूचना दी गयी है। प्रार्थना पत्र की चरण या 6 तकमीली है। प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार है।

अन्य आक्षेप – अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 खसरा संख्या 224, 225 के खातेदार नही है तथा प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 224, 225 के सम्पूर्ण सह खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है और न ही उक्त खसरा नम्बर का राजस्व रिकोर्ड में बंटवारा हो रहा है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 36 के पूर्व में स्थित खसरा नम्बरान के खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषनीय नही है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 224, 225 के उत्तर की तरफ लगभग 300 फिट लम्बा व 4 फिट उंचा पत्थर का कोट लगा हुआ है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के उक्त कोट को तुडवाकर प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा द्वेषतापूर्ण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से आदेश दिनांक 12.07.2019 से नाम प्रार्थना पत्र से डिलीट किया गया।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। बाद मनन बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 36 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम खजूर का नला पटवार मण्डल पगारां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी का उक्त भूमि की चर्तुसीमा में स्थित खातेदारों व प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीदार हिण्डोली को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी की जावें। नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा करवाना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली